



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: ~~2157~~

SEIAA/2022

Date:

25/11/22

प्रति,

श्री सचिन के. वर्मा,
शासकीय अधिवक्ता,
चेम्बर नं. 608, यू.सी.आई. लॉयर्स चेम्बर,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्र. 9333/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमाशु मीणा, 09 ए, पैरामाउंट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 14.0 हेक्टेयर, खसरा 225/1, ग्राम सतरावन-1, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) एवं प्रकरण क्र. 9332/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमाशु मीणा, 09ए, पैरामाउंट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.0 हेक्टेयर, खसरा 398, ग्राम अंडिया, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)


प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 755वी बैठक दिनांक 28.10.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 597वी बैठक दिनांक 06.10.2022 द्वारा मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ज्वट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल द्वारा ओ.ए. नम्बर 38/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 के दृष्टिगत रेत खनन के प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शासकीय अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाये। विधिक परामर्श प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही निर्णित की जायेगी। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल द्वारा ओ.ए. नम्बर 38/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 के दृष्टिगत रेत खनन के प्रकरणों में ToR जारी किये जाने के संबंध में कृपया यथाशीघ्र विधिक परामर्श प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष आगामी बैठक में यथोचित निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सके।



(मुजीबुर्हमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2158 /SEIAA/2022

दिनांक - 25/11/22

प्रतिलिपि:-

मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमाशु मीणा, 09 ए, पैरामाउंट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र.)


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी